

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा सैक्टर 17, प्लॉट नं० 2 पंचकुला।
2. उपायुक्त, महेन्द्रगढ़।
3. उप मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल।
4. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, महेन्द्रगढ़।
5. प्रधानाचार्य, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी।
6. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास संस्थान, भिवानी।
7. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़।
8. कानूनी अधिकारी, (पंचायत) जिला महेन्द्रगढ़।

क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/ 24303 - 311 दिनांक 15-4-15

विषय:- ग्राम पंचायतों के गठन सम्बन्धी अधिसूचना भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 64/ह0अ0 11/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 08.04.2015 की प्रति नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- अधिसूचना।

  
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।



हरियाणा सरकार  
विकास तथा पंचायत विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 8 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 64/ह0अ011/1994/घा0 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत जैनपुर, खण्ड नांगल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़ के सभा क्षेत्र से गांव बिहारीपुर तथा मौसमपुर के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के कमरा: खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित बिहारीपुर तथा मौसमपुर के नाम से ग्राम पंचायतें स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
नांगल चौधरी	महेन्द्रगढ़	1. बिहारीपुर (हदबस्त संख्या 266) 2. मौसमपुर (हदबस्त संख्या 265)	1. बिहारीपुर 2. मौसमपुर

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorized English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 8th April, 2015

No. S.O. 64/H A11/1994/S 8 & 7/2015.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Biharipur and Mausampur from the sabha area of Gram Panchayat Jainpur, block Nangal Chaudhry, district Mohindergarh and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Biharipur and Mausampur as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

**Schedule**

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Nangal Chaudhry	Mohindergarh	1. Biharipur (Hadbast Number 266) 2. *Mausampur (Hadbast Number 265)	1. Biharipur  2. Mausampur

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.